

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, बंगला नं0- A -2,
श्यामली कॉलोनी, राँची- 834002

राँची, दिनांक-23/09/2016

विषय:- सर्वश्री झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि0 द्वारा रामचन्द्रपुर से जादूगोड़ा तक 132 के0वी0 डी0/सी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु जमशेदपुर वन प्रमण्डल अन्तर्गत 8.993 हे0 एवं सरायकेला वन प्रमण्डल अन्तर्गत 3.852 हे0 कुल 12.845 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची से प्राप्त पत्रांक-811 दिनांक-19.08.2016 एवं पत्रांक-866 दिनांक-06.09.2016 से प्राप्त प्रस्ताव (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।


उक्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशांसा की जाती है :-

- (क) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
- (ग) प्रस्तावित वनभूमि के दोगुणे अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
- (घ) प्रस्तावित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्य से संभावित भू-क्षरण को रोकने से संबंधित मृदा एवं जल संरक्षण का कार्य परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।

- (ड) परियोजना के सिंहभूम गज आरक्ष में पड़ने के कारण प्रयोक्ता अभिकरण को गज संरक्षण एवं प्रबंधन के कार्य तथा Human-Elephant Conflict के Mitigation का कार्य परियोजना खर्च पर करना होगा।
- (च) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
कृपया विषयक प्रस्ताव पर अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वन भूमि -23/2016- 4429

व०प०, राँची दिनांक- 23/09/2016

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इण्डिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।




सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वन भूमि -23/2016- 4429

व०प०, राँची दिनांक- 23/09/2016

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि०, इंजिनियरिंग बिलडिंग, एच०ई०सी०, धुर्वा, राँची/श्री आर० के० सैनी, प्रबंधक (जेसीपी), पावर ग्रिड, जमशेदपुर, झारखण्ड-832108 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव

PART – V


(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 12.845 ha of Forest Land for Construction of 132 KV D/C Transmission Line from Ramchandrapur to Jadugoda in favour of JUSNL.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 12.845 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no. 44 29 dated- 23/09/2016


Signature :

उप सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

Name & Designation : Sunil Kumar
(Dy. Secretary)

Forest, Environment & Climate
Change Department

Date : 23/09/2016

Place : Ranchi

(Official Seal)